प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 02.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. प्रबंध निदेशक, बुडको को पत्र भेजा जाय कि सहायक अभियंता की नियमावली बुडको बोर्ड से पारित कराकर सरकार के अनुमोदन हेतु विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

   (अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

2. नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए दिशानिर्देश विभाग द्वारा नगर निकायों को भेजे गये हैं। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि रोस्टर के अनुसार नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों/कार्यपालक पदाधिकारियों/नगर निकाय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए कैलेण्डर निर्धारित किया जाय और इस हेतु अलग–अलग प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को कार्य दायित्व निर्धारित किया जाय। इन संस्थाओं द्वारा राज्य/संबंधित निकाय में आकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और कैलेण्डर में निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित संस्थाओं द्वारा exposure visit की व्यवस्था की जाएगी। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)**

3. विभाग द्वारा तैयार किये गये नीति/नियम/विनियम आदि का कम्पेडियम तैयार किया जाय। इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखाओं से समन्वय कर इससे संबंधित परिपत्रों को प्राप्त कर कम्पेडियम तैयार किया जाएगा और इसे ई०–कम्पेडियम के रूप में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। कम्पेडियम तैयार किये जाने संबंधी कार्य PMC-NULM के IEC टीम द्वारा किया जाएगा।

   (अनुपालन :– Team Leader, PMC-NULM)

4. विभागीय वेबसाईट पर Notice Board menu में अपलोड किये जाने वाले परिपत्रों में मात्र वैसे परिपत्र ही अपलोड किये जाएं, जो नागरिकों के जानकारी के लिए हो। विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों, जो विभागीय कार्यों एवं अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित है, उसे Notice Board menu में अपलोड नहीं किया जाएगा। **(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)**

5. श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक द्वारा बताया गया कि labour cess policy संबंधी संचिका वित्त विभाग भेजी गयी है। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वित्त विभाग से समन्वय किया जाय और पॉलिसी शीघ्र अधिसूचित करने की कार्रवाई की जाय।

   (अनुपालन :– श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)

6. नवनियुक्त बिहार नगर सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

   (अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निकायों में शत–प्रतिशत शौचालय निर्माण हेतु सभी लाभार्थियों को दिनांक 10.07.2019 तक राशि उपलब्ध कराने की समयसीमा निर्धारित कर सूचित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु सभी निकायों को निदेशित किया जाय कि वे समयसीमा के अंदर शत–प्रतिशत शौचालय निर्माण कराने हेतु पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे। **(अनुपालन :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव)**

8. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन एवं पार्टी आधारित चुनाव तथा आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से study report प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

9. ई०–गवर्नेंस एवं आई०टी० को मिलाकर एक अलग कोषांग के गठन की कार्रवाई की जाय ताकि आई०टी० से संबंधित मामलों का निष्पादन एक जगह से हो सके।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

10. TCPO के समूह 'घ' के कर्मियों का सेवा सत्यापन पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया है। सेवा सत्यापन नहीं होने के कारण इन कर्मियों की प्रोन्नति के मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति की पिछली बैठक में अस्वीकृत भी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इन कर्मियों का सेवा सत्यापन किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, जो संबंधित कर्मियों के कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक को निदेश दिया गया कि वे इस हेतु संबंधितों के साथ समन्वय करके TCPO के कर्मियों के सेवा सत्यापन संबंधी कार्य का निष्पादन 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)

11. Advocate का पैनल revised करने हेतु कार्रवाई की जाय। इस हेतु विज्ञापन प्रकाशित की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–8)

12. सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि किसी निकाय में कोई महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ होता है या योजना पूर्ण होता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन NULM team के मिडिया प्रभारी को उपलब्ध कराया जाय ताकि इससे जनसाधारण को अवगत कराने हेतु उनके द्वारा मिडिया कवरेज किया जा सके।

(अनुपालन :– सभी विभागीय पदाधिकारी)

13. SUH Committee की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

14. कोर्ट केस के वैसे सभी मामलों, जिनमें विभाग formal party नहीं है और महत्वपूर्ण मामले हैं, वैसे मामलों की सूची तैयार कर ली जाय और प्रत्येक बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित की जाय ताकि महत्वपूर्ण एवं urgent मामलों का निष्पादन हो जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रशाखा पदाधिकारी)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

3/7/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3315 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 3/7/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2019

प्रधान सचिव